क्रम-सख्या—172

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 1 अगस्त, 2018
श्रावण 10, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग—3

सख्या 270 / 65-3-2018-03-2018
लखनऊ, 1 अगस्त, 2018

अधिसूचना

सा0प०नि0—75

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम 21 के साथ पठित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 सन् 2016) की धारा 79 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल डा0 सतीश कुमार श्रीवास्तव को राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के रूप में नियुक्त करते हैं।

2—डा0 सतीश कुमार श्रीवास्तव को राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व राज्य सरकार की सेवा से त्याग-पत्र देना या सेवानिवृत्त होना होगा।

3—डा0 सतीश कुमार श्रीवास्तव को राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त किया जायेगा।

4—राज्य आयुक्त के रूप में उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की निबंधन एवं शर्तें उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार होंगी।

आज्ञा से,
महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव।